न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **159/2022** दायर दिनाँक **06.05.2022**

वादी

1. हरदीनाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–88 व 188 R.T.Act. 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश मोठ वकील वादी।

–:: अन्तिम निर्णय ::–

दिनाँक **18.08.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता आईदानराम, निम्बाराम, अमराराम, नरसाराम बेटा बुद्धाराम 1/2 व रामुराम पुत्र मोतीराम 1/2 के नाम से सम्वत् 2018 से 2021 में खेत खसरा संख्या 401 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा व अन्य खेत रहे है। संवत् 2022 से 2025 में खेत खसरा नम्बर 401 के स्थान पर नये खसरा नम्बर 362 कर दिये किन्तु उक्त खेत का रकबा जो पूर्व में 29 बीघा 07 बिस्वा था, उसके स्थान पर रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा कर दिया, जो पूर्ण रूप से गलत है। उक्त खेतों का बंटवारा होकर वादी के नाम खसरा नम्बर 362 व खसरा नम्बर 417 आये। वस्तुतः उक्त खसरा नम्बर 362 के नये नम्बर 417 का दिये किन्तु रकबे में कोई परिवर्तन नहीं किया तथा ना ही बाद के नक्शे में कोई परिवर्तन किया है। आज भी वादी खेत खसरा नम्बर 417 रकबा 4.3300 है. पर काबिज ना होकर वह पुराने खसरा 401 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा पर काबिज है। मात्र राजस्व अधिकारियों की भूलवश उक्त खसरा नम्बर 401 जो 29 बीघा 07 बिस्वा था उसके स्थान पर उसका रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा कर दिया एवम् नक्शे में भी परिवर्तन कर दिया। वादी आज भी अपने पुराने रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर काबिज है एवं उसी अनुरूप काश्त करता है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

पुराने खसरा नम्बर 401 में 29 बीघा 07 बिस्वा जो दर्ज है उसी अनुरूप वर्तमान के खसरा नम्बर 417 में भी उक्त रकबे का परिवर्तन करावें। पूर्व के नक्शे में वर्णित खसरा नम्बर 401 में जिस प्रकार से वादी की भूमि बताई गई है उसी अनुरूप उक्त नक्शे में परिवर्तन कर नक्शा में खसरा नम्बर 417 में भी परिर्वतन करावें। स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के खिलाफ जारी करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक–रीडर/2023/351 दिनांक 12.07.2023 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोलिया की हाल जमाबंदी संवत् 2073–76 में वर्तमान खसरा नम्बर 417 रकबा 4.33 है. भूमि हरदीनाराम पुत्र आईदानाराम जाति जाट निवासी कोलिया खातेदार के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त वर्तमान खसरा नम्बर 417 रकबा 4.33 हैक्टयर भूमि का गत सैटलमेंट सन् 2060–61 में साबिक खसरा नम्बर 362 रकबा 26–15 बीघा तथा सन 2060–61 से पूर्व का सेटलमेंट की जमाबंदी संवत् 2018–21 में इसका साबिक खसरा नम्बर 401 रकबा 29–07 बीघा दर्ज रेकर्ड रहा है। उपरोक्त सेटलमेंअ सन 2060–61 में रकबा में 02–12 बीघा की कमी आई है। उक्त कमी का आंकलन सन 2060–61 का मिलान क्षेत्रफल से ही किया जा सकता है जो वादी द्वारा ही जिला कार्यालय से प्राप्त करना अपेक्षित है। वर्तमान खसरा नम्बर 417 का मौका पर क्षेत्रफल पूर्व में दर्ज रेकर्ड अनुसार रकबा 29–07 बीघा है। तथा नक्शा में मौका के विपरीत उक्त खसरा की दक्षिणी सीमा गत सेटलमेंट सन 2060–61 में परिवर्तन किया गया है जो वर्तमान नक्शा में यथावत जारी है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना वादी अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने अपनी पुश्तैनी कब्जा काश्त [illegible] घोषणा करवाने की इस्तदुआ कर रहा जो वादी वर्तमान के खसरा नम्बर 417 रकबा 26–[illegible] बीघा [illegible] स्थान पर गत खसरा नम्बर 401 रकबा 29–07 बीघा के अनुरूप परिवर्तन करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 417 रकबा 4.33 हैक्टयर भूमि का गत सैटलमेंट सन 2060–61 में साबिक खसरा नम्बर 362 रकबा 26–15 बीघा तथा सन 2060–61 से पूर्व का सेटलमेंट की जमाबंदी संवत् 2018–21 में इसका साबिक खसरा नम्बर 401 रकबा 29–07 बीघा दर्ज रेकर्ड रहा है एवं वर्तमान खसरा नम्बर 417 का मौका पर क्षेत्रफल पूर्व में दर्ज रेकर्ड अनुसार रकबा 29–07 बीघा है। वादी द्वारा वादपत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:19:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

संलग्न प्रस्तुत मोमिया सीट के नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी नक्शा ट्रेस में भिन्नता है। वादी ने कथन किया है कि वादी मोमिया शीट के नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त है एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भी वर्तमान खसरा नम्बर 417 का मौका पर क्षेत्रफल पूर्व में दर्ज रेकर्ड अनुसार रकबा 29–07 बीघा है। उक्त विवेचनों व रेकर्ड के अवलोकन के आधार पर वादी का रकबा कम होना उचित होना प्रतीत होता है। अतः वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम कोलिया भू.अ.निरिक्षक क्षेत्र कोलिया के वर्तमान खसरा संख्या 417 रकबा 4.3300 है. भूमि का रकबा गत खसरा संख्या 401 रकबा 29–07 बीघा के अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है एवं मोमिया शीट के नक्शा ट्रेस अनुरूप वर्तमान नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हों।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 18.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:19:29 IST
Reason: SelfAttested